2

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर– 2021 / 1339

मुकदमा नम्बर 112 / 2021 दायर दिनांक : 28–10–2021

दयाल सिंह पुत्र शिवनाथसिंह उर्फ सोहन सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0 हाल आबाद सुशीला विहार, हान्तोज कालवाड़ रोड़, जयपुर, राज0।

– वादीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री नरेन्द्र सिह शेखावत जाखल

वकील प्रति. नं. :– राज पैरोकार

<u>दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती</u>

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 28.03.2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल की सरहद में नया खाता संख्या 162 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 427 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 937 रकबा 0.77 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.47 हैक्टर व खाता संख्या 298 की भूमि खसरा नम्बर 424 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 935 रकबा 0.77 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.55 हैक्टर व खाता संख्या 371 की भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 हैक्टर स्थित है। उक्त वर्णित भूमियों के संबंध में वादी उक्त वाद घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरुस्ती नाम का श्रीमान् की सेवामें में पेश कर रहा है।

वाद–पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि है जिसका राजस्व रिकॉर्ड परिवार के साथ सह–खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है, राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदारो के साथ दर्जशुदा हिस्सेदारी पहले भी सही थी व आज भी प्रस्तुत जमाबन्दी में सही दर्ज है, लेकिन चूंकि वादी लम्बे समय से जयपुर में ही निवास करता है व राज्य सेवा में रहते हुये पशुपालन विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत हुए व वहां रहकर ही अपनी पैत्रिक जमीनो की काश्तकारी बंटाई पर करवाते रहे है व आते जाते रहे है।

यह कि वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सोहनसिंह दर्ज है, जबकि ग्रामीण परिवेश की परम्पराओं के अनुसार उनका सोहन सिंह नाम तो बोलचाल की भाषा में प्रचलन में था जबकि उनका सही नाम अर्थात् रिकॉर्डेड नाम शिवनाथसिंह था व वही नाम राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज होना चाहिये था, शिववनाथसिंह नाम ही वादी के सभी दस्तावेजात् में दर्ज है, वादी प्रस्तु[illegible] में उक्त रिकॉर्ड दुरूस्ती नाम के समर्थन में स्वंय का आधार कार्ड, वादी भारतीय सेना में सेवार[illegible] वह[illegible] पहचान पत्र भूतपूर्व सैनिक, भारत का गणराज्य का स्वंय का पासपोर्ट एवं स्वंय का ड्राईविंग लाइसेंस [illegible] प्रतियां पेश कर रहा है। उक्त सभी दस्तावेजात् में वादी के पिता का नाम शिवनाथसिंह दर्ज है [illegible] उनका सही नाम था, परन्तु [illegible] की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से वादी के पिता का नाम शिवनाथसिंह [illegible] सोहन सिंह दर्ज हो गया, जबकि सही नाम शिवनाथसिंह था जिस[illegible] दुरूस्त कर सही नाम दर्ज कर[illegible] उक्त दावा घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती नाम का श्रीमान् की सेवामें पेश किया जाना आवश्यक होने पर पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:55 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

यह कि वादी के द्वारा वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दियों में वादी के भाई जयसिंह का भी नाम दर्ज है व उनकी हिस्सेदारी 1/2 सही दर्ज है, चूंकि जयसिंह फौत हो चुका है व उनका मृत्यु प्रमाण पत्र पूरी जांच के बाद राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया उसमें भी जयसिंह के पिता का नाम शिवनाथसिंह ही दर्ज किया गया है जो वादी के सगे भाई है इससे भी स्पष्ट है कि वादी के पिता का सही नाम शिवनाथसिंह ही था, इसलिये भी घोषणार्थ वाद श्रीमान् की सेवामें पेश है।

यह कि उपरोक्त प्रकार की गलती एक टेक्निकल एरर है व पहले राजस्व रिकॉर्ड में प्रचलन (बोलचाल) का नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में होता रहा है, जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है व प्रस्तुत दस्तावेजात् से प्रमाणित होता है।

यह कि वाद–पत्र में वर्णित मद संख्या 1 की भूमियों में दर्जशुदा रिकॉर्डेड अन्य खातेदारो के खिलाफ प्रस्तुत वाद में कोई रिलिफ न तो आवश्यक थी व न ही चाही गई है, इसलिये इनको पक्षकार नहीं बनाया गया है, व माननीय न्यायालय के संज्ञान में इसलिये लाया गया है कि प्रस्तुत वाद में कोई कानूनी त्रुटि नहीं रहे, इसलिये प्रस्तुत वाद श्रीमान् की सेवामें पेश है।

उक्त वाद के लिए वादाधिकार वादी द्वारा जब अपनी जमीनो की जमाबन्दियों निकलवाई गई तब उक्त नाम का गलत दर्ज होने की जानकारी हुई, इस पर वादी द्वारा पटवारी हल्का व तहसीलदार साहब से सम्पर्क किया व अपने पिता का नाम सही दर्ज करवाने का निवेदन किया तो उन्होने श्रीमान् के यहां वाद प्रस्तुत करने की राय देने के रोज अदालत हाजा में पैदा हुआ।

वादी द्वारा वाद–पत्र मे अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित खाता संख्या 162 के अंतर्गत की भूमि खसरा नम्बर 427 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 937 रकबा 0.77 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.47 हैक्टर व खाता संख्या 298 की भूमि खसरा नम्बर 424 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 935 रकबा 0.77 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.55 हैक्टर व खाता संख्या 371 की भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 हैक्टर भूमियों में वादी की दर्जशुदा हिस्सेदारी को यथावत् रखते हुये राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम सोहनसिह के स्थान पर शिवनाथसिंह दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से राज पैरोकार उपस्थित आये। राज पैरोकार अपने कथन किया कि दावे का अवलोकन किया गया वादी द्वारा चाहा गये अनुतोष से राजहित प्रभावित नही होता है। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 01 को कोई ऐतराज नही है।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया गया। बहस वकील वादी का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल की सरहद में नया खाता संख्या 162 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 427 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 937 रकबा 0.77 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.47 हैक्टर व खाता संख्या 298 की भूमि खसरा नम्बर 424 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 935 रकबा 0.77 हैक्टर कुल किता [illegible] बा 1.55 हैक्टर व खाता संख्या 371 की भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 4[illegible] रकबा 0.[illegible] हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 हैक्टर स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:55 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि है जि[illegible] राजस्व रिकॉर्ड [illegible] साथ सह–खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है, राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदारो के साथ दर्जशुदा हिस्सेदा[illegible] पहले भी सही थी व आज भी प्रस्तुत जमाबन्दी में सही दर्ज है, लेकिन चूंकि वादी लम्बे समय से जयपुर [illegible] ही निवास करता है व राज्य सेवा में रहते हुये पशुपालन विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत हुए व वहां रहकर ही अपनी पैत्रिक जमीनो की काश्तकारी बंटाई पर करवाते रहे है व आते जाते रहे है। वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सोहनसिंह दर्ज है, जबकि ग्रामीण परिवेश की परम्पराओं के अनुसार उनका सोहन सिंह नाम तो बोलचाल की भाषा में

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)

प्रचलन में था जबकि उनका सही नाम अर्थात् रिकॉर्डेड नाम शिवनाथसिंह था व वही नाम राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज होना चाहिये था, शिववनाथसिंह नाम ही वादी के सभी दस्तावेजात् में दर्ज है, वादी प्रस्तुत वाद–पत्र में उक्त रिकॉर्ड दुरूस्ती नाम के समर्थन में स्वंय का आधार कार्ड, वादी भारतीय सेना में सेवारत रहा वहां का पहचान पत्र भूतपूर्व सैनिक, भारत का गणराज्य का स्वंय का पासपोर्ट एंव स्वंय का ड्राईविग लाईसेन्स की फोटो प्रतियां पेश कर रहा है। उक्त सभी दस्तावेजात् में वादी के पिता का नाम शिवनाथसिंह दर्ज है व वहीं उनका सही नाम था, परन्तु वाद–पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से वादी के पिता का नाम शिवनाथसिंह के बजाय सोहन सिंह दर्ज हो गया, जबकि सही नाम शिवनाथसिंह था जिसको दुरूस्त कर सही नाम दर्ज किया जाना उचित है। भूमिधारी को कोई ऐतराज नही है। वादी को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। वादी का वाद पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वादी वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित खाता संख्या 162 के अंतर्गत की भूमि खसरा नम्बर 427 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 937 रकबा 0.77 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.47 हैक्टर व खाता संख्या 298 की भूमि खसरा नम्बर 424 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 935 रकबा 0.77 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.55 हैक्टर व खाता संख्या 371 की भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 हैक्टर भूमियों में वादी की दर्ज शुदा हिस्सेदारी को यथावत् रखते हुये राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम सोहनसिह के स्थान पर शिवनाथसिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दमयंती कंवर (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:55 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर0ए0एस0)

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 112/2021 (दयाल सिह बनाम राजस्थान सरकार)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर0ए0एस0),ए॰सी॰ई॰एम॰ (फा॰ट्रे॰), नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब–मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.03.2022 निर्णयानुसार राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित खाता संख्या 162 के अंतर्गत की भूमि खसरा नम्बर 427 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 937 रकबा 0.77 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.47 हैक्टर व खाता संख्या 298 की भूमि खसरा नम्बर 424 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 935 रकबा 0.77 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.55 हैक्टर व खाता संख्या 371 की भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 हैक्टर भूमियों में वादी की दर्ज शुदा हिस्सेदारी को यथावत् रखते हुये राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम सोहनसिह के स्थान पर शिवनाथसिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 28.03.2022 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:55 IST
Reason: SelfAttested